संख्या-46/2016/1458 ई-2/तेरह-2016-216/90

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 जुलाई,2016

विषय:-अल्कोहल वर्ष 2015-16 में डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-6/नौ-2015-16/अ0नि0/772/देश के बाहर, दिनांक 14 जून,2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14 जून,2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2015-16 में मे0 रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत 8,80,000(आठ लाख अस्सी हजार) बल्क लीटर डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर अल्कोहल के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रदेश में शीरा की कमी होने पर इकाई प्रदेश/देश के बाहर से शीरा आयात करके देश के बाहर डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का निर्यात कर सकती है।

तदनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra